

राज्य परियोजना कार्यालय

समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़

द्वितीय तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेशनबाड़ा, रायपुर

टेलीफोन नं. 0771-2445052

Email-mis.head@gmail.com

पत्र क्र. 7485/SS/Pedagogy/FLN/2022-23

रायपुर, दिनांक 27/03/2023

// प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश //

राज्य में गौडी भाषा के 10 हजार समानार्थी एवं मानक शब्दों की शब्दकोश (डिक्शनरी) बनाने हेतु चार जिलों (बीजापुर, दंतवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर) में कार्यशालाओं का आयोजन कर संकलित शब्दकोश को प्रमाणीकरण करने हेतु पं. रविशंकर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, साहित्य एवं भाषा अध्ययन विभाग के साथ मिलकर दिनांक 27.03.2023 से 31.03.2023 तक 5 दिवसीय आवासीय प्रमाणीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में 60 प्रतिभागी शामिल होंगे। जिसके लिए भोजन, आवास एवं यात्रा देयक हेतु पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग. को कुल राशि 1.80 लाख (राशि एक लाख अस्सी हजार रु. मात्र) का PFMS के माध्यम से राशि भुगतान करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	जारी राशि	बैंक खाता
1	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.	180000.00	Ravi Shankar University, Raipur SBI- 10049590033, SBIN0003739
	कुल राशि	180000.00	

(शब्दों में राशि एक लाख अस्सी हजार रु. मात्र)

उक्त राशि समग्र शिक्षा के FLN (Ele.) मद से विकलनीय होगा। यह राशि उक्त कार्यशाला के आयोजन में व्यय हेतु दिया जाता है।

पत्र क्र. 7486/SS/Pedagogy/FLN/2022-23

प्रतिलिपि

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कुलपति, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
4. वित्त शाखा, समग्र शिक्षा, स्थानीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री शुभांशु चौधरी (मो.नं. 98110-86749), राज्य समन्वयक, सीजीनेट स्वर फाउण्डेशन, रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंधक संचालक

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छ.ग., रायपुर

R-4856
27-03-23

310 अनिल
27/3/23